FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – 102, कंचन अपार्टमेण्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर (राज.) शाखा कार्यालय–नादौती जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह – प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्री विजय सिंह माली पुत्र श्री बच्चू सिंह माली – ऋणी
2. श्री बच्चू माली पुत्र श्री शदाया राम माली – सहऋणी
   निवासीयान–714, रघुनाथपुरा, ढाणी मालियान, गुढ़ाचंद्रजी, गोतायकपुरा, तहसील नादौती जिला करौली राज. 322213
3. श्री हरि प्रसाद माली पुत्र श्री दुर्गा लाल माली., निवासी–816, घाटवाला (मालीपुडा), ग्राम गुढाचंद्रजी, तहसील नादौती जिला करौली राज. 322213 – सहऋणी
4. श्री सीता राम माली पुत्र श्री गोदया माली निवासी–712, रघुनाथपुरा, ढाणी मालीयान, गुढाचंद्रजी, गोतायकपुरा, तहसील नादौती जिला करौली राज. 322213 – जमानती

मु.नं.–21/19 कि.मु.–अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 ता.रजु–13.08.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.08.2019	प्रार्थी की ओर से श्री नितिन शर्मा, एडवोकेट द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरूद्ध ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ऋणी व सहऋणी ने प्रार्थी से 30,00,000 व 30,00,000 कुल 60,00,000 रूपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी ने अपनी अचल सम्पति जो कि ख.नं. 4919/1, रकबा 0.14 हैक्टर, व ख.नं. 4920/01, रकबा 0.10 हैक्टर, कुल 0.24 हैक्टर (औद्योगिक उपयोग हेतु) कन्वर्जर आर्डर दिनांक 18.10.2013, जो ग्राम रघुनाथपुरा, पोस्ट गुढाचंद्रजी, तहसील नादौती जिला करौली राज. में स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। ऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खाता को दिनांक 31.03.2018 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी संस्था के दिनांक 01.03.2019 तक राशि 1,00,78,523 (एक करोड़ अठहत्तर हजार पांच सौ तेईस रुपये मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे ऋणीपर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी संस्था द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 22.03.2019 को ऋणी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।	

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी संस्था के द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.03.2019 को ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी ऋणी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ऋणी द्वारा प्रार्थी संस्था से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी ने अपनी अचल सम्पति जो कि ख.नं. 4919/1, रकबा 0.14 हैक्टर, व ख.नं. 4920/01, रकबा 0.10 हैक्टर, कुल 0.24 हैक्टर (औद्योगिक उपयोग हेतु) कन्वर्जर आर्डर दिनांक 18.10.2013, जो ग्राम रघुनाथपुरा, पोस्ट गुढाचंद्रजी, तहसील नादौती जिला करौली राज. में स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी संस्था को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली